न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०–M 01 / 2019

धारा–107 द०प्र०सं०

अब्दु सईद अन्सारी बनाम पूर्ण उराँव वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
23-01-19	अभिलेख सं0–एम 01 / 2019, में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०– 01/19 दिनांक– 06-01-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू मौजा ठर्लाक का खाता सा० 1422 प्लॉट न० 30 रकबा 1.21 डी०पर विवाद को लेकर उभय पक्ष में तनाव है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 08/02/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 23/01/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। (हस्ताक्षर) 23/01/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
26-08-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी दिताप पत्र उपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया। अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है। [signature] 26/08/19	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.12 15:20:38 +05:30
Location: 10.93.79.5